

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आरण्यम

प्रकरण सं० : 237/2022

1. कुरडाराम पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मोठसरा हाल निवासी चक 6 जीजीएम गोगामेडी तहसील नोहर।

:- वादी

ब नाम

1. रामपाल पुत्र गुगनराम जाति जाट निवासी मोठसरा तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री विनोद पुनियां व वकील प्रतिवादीगण उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा मोठसरा के खाता सं० 6/136 के खसरा सं० 247, 315 की 11495 है० वारानी खातेदारी में वादी के नाम 1916/11495 हिस्सा व रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं० 355/356 के खसरा सं० 721/1 की 3.162 है० वारानी खातेदारी में वादी के नाम 1/2 हिस्सा व रोही मोजा अनूपशहर के खाता सं० 59/59 के खसरा सं० 30, 685, 685/2 की 12.937 है० वारानी खातेदारी में वादी के नाम 2156/12937 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उसमें वादी का नाम रामप्रसाद पुत्र गुगन की जगह कुरडाराम पुत्र गुगनराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुरार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच रामप्रसाद पुत्र गुगन के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था में रामप्रसाद पुत्र गुगन के नाम से देय वकाया हो तो उसके लिए भी रामप्रसाद पुत्र गुगन के नाम ही प्रभावी माना जावेगा। तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.01.23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



शकुन्तला चौधरी
(शकुन्तला चौधरी) भादरा

R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़